

FORM OF ORDER SHEET
IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Aaganbari Revision Case No.-139/2021]

Anita Kumari.....Appellant

Versus

State of Bihar & Others.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.9.2026	आदेश प्रस्तुत आंगनवाडी पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आंगनवाडी अपील वाद सं0-16/2020 (श्रीमती अनीता कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अन्य) में दिनांक-29.04.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का कथन है कि - - मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत आंगनवाडी केन्द्र सं0-16 के लिये चयन समिति द्वारा विपक्षी सं0-02 बेबी कुमारी पति गजेन्द्र प्रसाद यादव सा0-आजाद नगर वार्ड नं0-09 थाना वो जिला मधेपुरा का सेविका पद पर किये गये चयन के विरुद्ध उनके द्वारा निम्न न्यायालय में अपील आवेदन दाखिल किया गया था। - उक्त आंगनवाडी केन्द्र सं0-16 के सेविका पद के लिये कुल 16 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें विपक्षी सं0-03 का चयन नियम के विरुद्ध किया गया है। चयन के समय भी उनके द्वारा आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया था जिसपर कोई विचार नहीं किया गया। - विपक्षी सं0-03 के संदर्भ में पुनरीक्षणकर्ता का यह दावा है कि विपक्षी सं0-03 के गार्जियन अर्थात् ससुर का नाम केन्द्र सं0-16 की मैपिंग पंजी में अंकित नहीं है। विपक्षी सं0-03 के ससुर का नाम केन्द्र सं0-15 की मैपिंग पंजी में अंकित है। - सेविका का चयन अविधिक है, क्योंकि उक्त आमसभा दिनांक 22.06.2020 को संपन्न हुई है, जबकि उनका चयन दिनांक 26.06.2020 को हुआ है। आमसभा के दौरान पुनरीक्षणकर्ता उपस्थित थी। इसके बावजूद चयन समिति द्वारा उन्हें अनुपस्थित बताया गया है। - निम्न न्यायालय आदेश में गलत रूप से दर्ज है कि उनके बहन बबली कुमारी के पति शिक्षक हैं। - कोविड-19 के चलते उनके द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके लिये उनके द्वारा विलंब क्षाति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस प्रकार से उनके द्वारा विपक्षी सं0-03 के चयन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी सं0-03 की ओर से जबाब- - विपक्षी सं0-03 का कहना है कि पूर्व में अभ्यर्थी सुजीता कुमारी पति मनोज कुमार के चयन को निरस्त किये जाने हेतु उनके द्वारा आंगनवाडी वाद सं0-34/2015 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें उभयपक्ष को सुनकर सुजीता कुमारी के दावे को निरस्त किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध सुजीता कुमारी द्वारा जिला	



9/

29.9.2026

पदाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में अपील वाद सं0-04/2016 दाखिल किया गया जो अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में दुबारा आमसभा दिनांक 22.06.2020 को सम्पन्न हुई जिसमें विपक्षी सं0-03 का चयन सर्वसम्मति से किया गया। चूंकी आमसभा की मेधासूची की उम्मीदवार अनीता कुमारी, बबीता कुमारी, अंजनी कुमारी, चुन्नी कुमारी, पुनम कुमारी, ऋतु कुमारी, शबाना परवीन अनुपस्थिति एवं पुनरीक्षणकर्ता की बहन बबीता कुमारी के शारीरिक शिक्षक रहने के कारण तथा अन्य तीन को चयन मार्गदर्शिका-2011 के तहत अयोग्य पाया गया। इस प्रकार कुल तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया गया जिसमें विपक्षी सं0-03 का सर्वोच्च मेधा अंक पाते हुए उन्हें नियुक्त किया गया।

- पुनरीक्षणकर्ता का यह दावा गलत है कि उनका नाम केन्द्र सं0-16 की मैपिंग पंजी में अंकित नहीं है एवं उनके ससुर का नाम केन्द्र सं0-15 की मैपिंग पंजी में अंकित है। उनके परिवार का नाम क्रमांक 108 पर अंकित है।
- महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि उनका घर केन्द्र सं0-16 पर है एवं उनका नाम मतदाता सूची के भाग सं0-163 के क्रमांक 406 पर अंकित है जो मतदान केन्द्र सं0- 164 है जो आंगनवाडी केन्द्र सं0-15 एवं 16 को मिलाकर बनाया गया है।
- विपक्षी सं0-03 के पति एवं ससुर का घर केन्द्र सं0-16 के पोषक क्षेत्र में स्थित है जबकि उनके देवर को उनके हिस्से में प्राप्त जमीन केन्द्र सं0-15 में अवस्थित रहने के कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त को आधार बनाकर गलत आरोप लगाया जा रहा है। उनके पति गजेन्द्र प्र0 यादव का नाम केन्द्र सं0-16 के पोषक क्षेत्र के क्रमांक 50 पर अंकित है तथा हमारे पूरे परिवार वो सभी बच्चे का नाम क्रमांक 108 पर अंकित है।
- उनका आगे कहना है कि लोक शिकायत निवारण मामले में हुई सुनवाई के क्रम में हुई जाँच में भी यह स्पष्ट हुआ है कि विपक्षी सं0-03 का आंगनवाडी केन्द्र सं0-16 वार्ड नं0-09 के पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत पक्का मकान अवस्थित है जिसमें वे सपरिवार निवास करती है।

इस प्रकार विपक्षी सं0-03 के द्वारा प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न दस्तावेज की सूची :-

- महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा को समर्पित प्रतिवेदन की छायाप्रति।
- विपक्षी सं0-03 द्वारा वार्ड आयुक्त वार्ड नं0-09 को समर्पित आवेदन की छायाप्रति।
- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा का पत्रांक 869-2 दिनांक 05.04.2016 की प्रति।
- दिनांक 22.06.2020 को सम्पन्न आम सभा के कार्यवाही की प्रति।
- अनन्य सं0-999960108072190233/2। में दिनांक 12.09.2022 को पारित आदेश की प्रति।
- बाल विकास परियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक 265 दिनांक 20.08.2022 की प्रति।
- केन्द्र सं0-16 की मैपिंग पंजी की छायाप्रति।
- वार्ड नं0-09 की सर्वेक्षण सूची की छायाप्रति।

विपक्षी सं0-01 एवं 02 की ओर से सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य :-



✓

३९.९.२०२६



- पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्न न्यायालय में केन्द्र सं०-१५ की मैपिंग पंजी उपलब्ध कराया गया है जिसके क्रमांक १९६ पर विपक्षी सं०-०३ के ससुर भुलूर प्रसाद यादव का नाम अंकित है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से केन्द्र सं०- १६ का मैपिंग पंजी उपलब्ध कराया गया है जिसके क्रमांक १०८ पर कमलेश्वरी पंडित जाति कुम्हार दर्ज है जबकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया है उसमें क्रमांक १०८ पर भुरल प्रसाद यादव विपक्षी सं०-०३ के ससुर का नाम अंकित होने का उल्लेख है जो दाखिल मैपिंग पंजी से साबित नहीं होता है।
- महिला पर्यवेक्षिका के जाँच प्रतिवेदन में यह गलत बताया गया है कि बेबी कुमारी (विपक्षी सं०-०३) एवं ससुर का धर केन्द्र सं०-१६ के पोषक क्षेत्र में अवस्थित है।
- पुनरीक्षणकर्ता का यह भी आरोप है कि उनका चयन यह कहकर नहीं किया गया है कि उनकी बहन उत्कृष्ट मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। लेकिन उनका आरोप गलत है कि उनकी नौकरी अन्य जिला में है इसलिये ३४ कंडिका ४/४.९ आंगनवाडी संविका सहायिका मार्ग दर्शिका २०११ की कंडिका लागू नहीं होती है।
- निम्न न्यायालय में महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को आधार मानकर आदेश पारित किया गया है अतः ऐसी परिस्थिति में इसकी पुनः स्पष्ट जाँच होनी चाहिये की आंगनवाडी केन्द्र सं०-१६ में बेबी कुमारी के ससुर का नाम अंकित है या नहीं। साथ ही बेबी कुमारी आंगनवाडी केन्द्र सं०-१६ के पोषक क्षेत्र की है या नहीं।

निम्न न्यायालय आदेश का सारांश :-

- समाहर्ता, मधेपुरा के अपील वाद सं०-०४/२०१६ में परित आदेश के आलोक में पुनः दिनांक २२.०६.२०२० को सम्पन्न आमसभा के द्वारा बेबी कुमारी का चयन हुआ है।
- अनीता कुमारी का दावा है कि बेबी कुमारी के ससुर का नाम केन्द्र सं०-१६ के मैपिंग पंजी न होकर केन्द्र सं०-१५ के क्रम सं०-१९६ पर अंकित है जबकि बेबी कुमारी का कहना है कि केन्द्र सं०-१६ के क्रम सं०-१०८ पर अंकित है।
- अनीता कुमारी द्वारा समर्पित केन्द्र सं०-१५ के मैपिंग पंजी के क्रमांक १९६ भुलूर प्रसाद यादव एवं केन्द्र सं०-१६ के मैपिंग पंजी के क्रमांक १०८ पर कमलेश्वरी पंडित का नाम अंकित है जबकि बेबी कुमारी द्वारा समर्पित केन्द्र सं०-१६ की मैपिंग पंजी के क्रमांक १०८ पर बेबी कुमारी के पति गजेन्द्र प्र० यादव का नाम पूरे परिवार के साथ दर्ज है।
- सुजीता कुमारी के मामले में महिला पर्यवेक्षिका द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि वर्तमान में बेबी कुमारी पति गजेन्द्र प्रसाद यादव का धर केन्द्र सं०-१६ के पोषक क्षेत्र में है जहाँ पक्का का मकान बना है, जिसमें बेबी कुमारी सपरिवार निवास करती है। वार्ड नं०-०९ की मतदाता सूची के भाग सं०-१६३ में अंकित है। मतदान केन्द्र सं०- १६४ है जो आंगनवाडी केन्द्र सं०-१५ एवं १६ को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं होता है कि बेबी कुमारी केन्द्र सं०-१५ के पोषक क्षेत्र की है तथा शिकायतकर्ता द्वारा ठोस प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है।
- आमसभा पंजी के अवलोकन से यह पाया गया कि बेबी कुमारी के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं दिया गया है। सर्वसम्मति से क्रमांक ०१ से १० तक के अभ्यर्थियों चयन मार्गदर्शिका २०११ के आलोक में अयोग्य पाकर बेबी कुमारी का चयन किया गया है।

१२

29.9.2026



- वर्णित परिप्रेक्ष्य में बेबी कुमारी के चयन को यथावत रखते हुए अनीता कुमारी के अपील वाद को अस्वीकृत कर दिया गया है।

विपक्षी सं0-03 के अधिवक्ता एवं सुनवाई में उपस्थित सरकारी अधिवक्ता को सुना। उभयपक्ष समर्पित लिखित दावो एवं निम्न न्यायालय अभिलेख को अवलोकन से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होता है कि

- विपक्षी सं0-03 का चयन आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 के अनुसार हुआ है।
- आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका/सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका- 10.3 में अंकित है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालय में पदस्थापित उप निदेशक, कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

उपरोक्त के आलोक में प्रश्नगत मामले को इस न्यायालय में पोषनीय नहीं पाते हुए अपीलार्थी के इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। व्यथित पक्ष चाहें तो चयन मार्गदर्शिका, 2011 के निहित प्रावधानों के अनुरूप अपील संबंधित न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा


आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।